न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 138 / 2021 **दायर दिनांकः 28.07.2021**

उनवान

1. मेघराज उम्र 40 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 23 / 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 195 के ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 409 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 467 का रकबा 0.30 है0 आराजी कुल किता 3 का रकबा 1.15 है0 भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है—

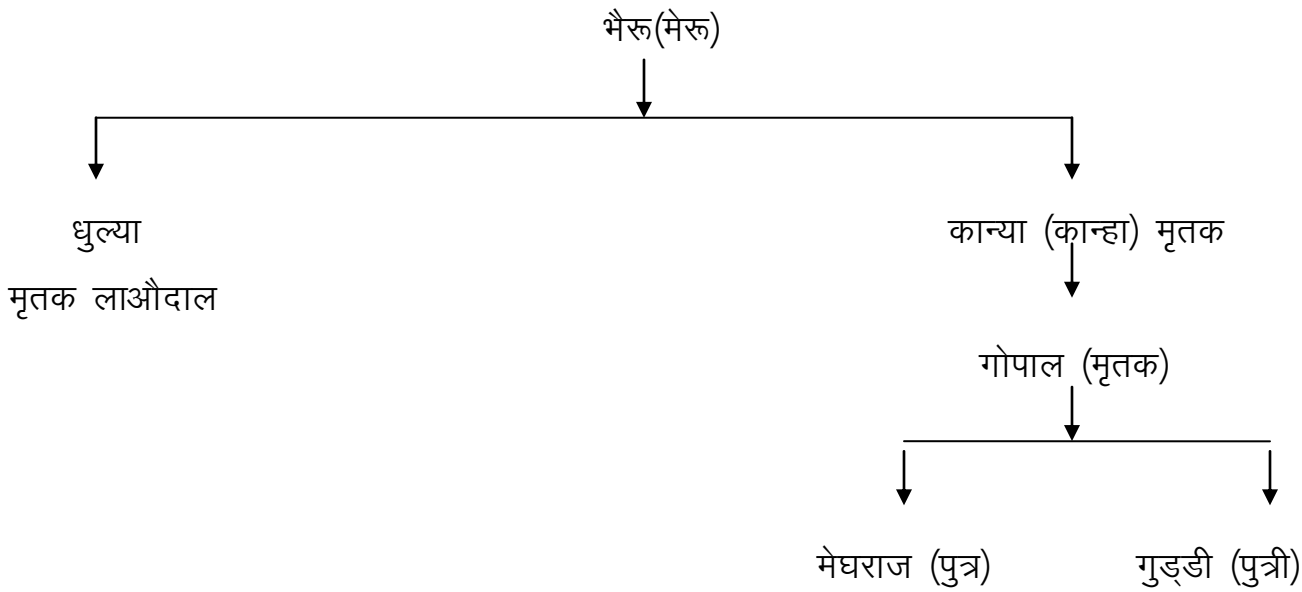

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि खातेदार धुल्या एवं कान्या उर्फ कान्हा के दर्ज खाता चली आ रही थी। खातेदार धुल्या का लाऔलाद एवं कान्हा के दर्ज खाता चली आ रही थी। खातेदार धुल्या का लाऔलाद एवं कान्या उर्फ कान्हा का स्वर्गवास लगभग 70–80 वर्ष पूर्व हो गया था। खातेदार कान्या उर्फ कान्हा के वादीगण के पिता गोपाल एक मात्र वारिस थे। वादीगण के पिता का विवाह ग्राम छजावा में नैनकराम की पुत्री जानकीबाई से हुआ था। लेकिन वादीगण के पिता गोपाल परिवार में अकेले होने से वादीगण के नाना उनको छजावा लेकर आ गए। वादीगण के पिता छजावा में निवास कर रहे थे। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि धुल्या व कान्हा उर्फ कान्हा के दर्ज खाता चली आ रही थी जिनका स्वर्गवास लगभग 70–80 वर्ष पूर्व हो चुका था। उसके वारिसान को पक्षकार बनाए बिना तथा पटवारी हल्का से वारिसान की रिपोर्ट लिए बिना प्रतिवादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 201 का रकबा 0.54 है0, एवं ख.नं. 467 का रकबा 0.30 है0 को मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करवा कर सिवायचक दर्ज कर सरकार के खाते दर्ज कर दी। जो अवैध होने से निरस्तनीय है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित डिक्री वयर्थ एवं शुन्य है तथा वादीगण उनके वारिसान होने से उपरोक्त नामान्तरण को वादीगण के हितों तक अवैध प्रभावशुन्य घोषित करवाकर वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 22.07.2021 को नामान्तरण की नकलें एवं दिनांक 23.07.2021 को खाते की नकलें प्राप्त होने पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को वादीगण के खाते दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने श्रीमान के यहां वाद पेश करने की हिदायत दी। वाद पत्र

की मद ं0 1 में वर्णित भूमि में से ख0नं0 201 एवं ख0नं0 467 सिवायचक दर्ज हो जाने से प्रतिवादी द्वारा आवंटन की संभावना है तथा बिना वाद प्रस्तुत किये वादीगण नामान्तरण संख्या 1662 एवं 1691 को अवैध प्रभावशुन्य घोषित कराना संभव नहीं है इसलिए माननीय न्यायालय में वाद पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी भूमि का आवंटन कर सकते है जिससे वादीगण को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मानीय न्यायालय की हिदायत से वाद पेश है। वाद कारण प्रथम व अंतिम बार दिनांक 22 एवं 23.01.2021 को नामान्तरण एवं राजस्व की नकलें प्राप्त होने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित होने एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुनक पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में दावा पेश कर वादीगण निवेदन करते है कि उिक्त बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में नामान्तरण संख्या 1662 एवं 1691 को अवैध प्रभावशुन्य घोषित करवाकर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाए की वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के शांति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें और ना ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीग की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि पटवारी हल्का रिपोर्ट ग्राम कवाई की आराजी ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि कान्या, धुल्या पुत्र भेरू जाति मीणा सा. देह के नाम दर्ज है। व आराजी ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0 भूमि खाता सरकार (सिवायचक) दर्ज है। मद संख्या 1 में वर्णिय कथन कानूनी है। स्वयं साबित करें। मद संख्या 2 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 3 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 4 में वर्णित कथन पटवारी रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0 नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण माली काश्त करता है। ख0नं0 467 रकबा 0.30 है0 में रास्ता बना हुआ है। मद संख्या 5 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 6 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 7 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 8 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 9 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 10 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 11 में वर्णित कथन कानूनी है।

3. साक्ष्यवादी के तहत PW1 से PW3 के शपथ पत्र पेश किये गये और रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। PW1 मेघराज पुत्र गोपाल जाति मीणा ने शपथ पत्र पेश किया कि धुल्या एवं कान्या उर्फ काल्या मेरे दादाजी थे जबकि भेरू मीणा मेरे परदादा थे। मेरे दादा धुल्या लाऔलाद फौत हो गये थे जबकि दूसरे दादा कान्या उर्फ काल्या के एक मात्र वारिस मेरे पिता गोपाल उर्फ रामगोपाल थे जिनका विवाह मेरे नाना नेनकराम निवासी छाजावा की पुत्री जानकी बाई से हुआ था। मेरे पिता जी परिवार में अकेले होने के कारण उनको मेरे नानाजी अपने साथ अपने गावं छजावा लेकर आ गये थे। ग्राम कवाई की उक्त विवादित आराजी मेरे दादाजी कान्या उर्फ काल्या एंव धुल्या के खाते दर्ज चली आ रही थी। जिनका करीब 70–80 साल पूर्व स्वर्गवास हो गया था। तहसीलदार अटरू द्वारा उनके वारिसानों को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना तथा हल्का पटवारी से वारिसानों की जांच रिपोर्ट लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करवाकर उक्त विवादित आराजी ग्राम कवाई के ख0नं0 201 व 467 को सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार के खाते दर्ज कर दिया था । मेरे मृत दादाजी के विरूद्ध पारित की गई डिक्री शून्य एवं अवैध है। अतः उक्त डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 1662 व 1691 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। PW2 रामप्रताप उम्र 75 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति राव निवासी पारलिया ने शपथ पूर्ण अपने गवाह ब्यानों में कथन किया है कि मैं मीणा समाज का राव हूॅ और कवाई निवासी धुल्या एवं काल्या उर्फ कान्या उर्फ कान्हा, भैरू के पुत्र

थे। धुल्या का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया था। काल्या उर्फ कान्या उर्फ कान्हा के एक मात्र पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल था जिसका विवाह छजावा निवासी नेनकराम की पुत्री जानकीबाई से हुआ था जिसे लेकर नेनकराम छजावा आ गये थे। मैं गोपाल उर्फ रामगोपाल एवं उनके पुत्र मेघराज को व्यक्तिगत रूप से जानता हूॅ। PW 3 तौलाराम पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी लोलाहेडी ने अपने गवाह ब्यानों में बताया कि मेरे गावं के हरिचरण मीण ने अपनी लडकी का विवाह मेघराज पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल कवाई वाले के साथ छजावा में किया है। मैं मेघराज पुत्र गोपाल एवं उनके पिता गोपाल उर्फ रामगोपाल को व्यक्तिगत रूप से जानता हूॅ। गोपाल उर्फ रामगोपाल काल्या उर्फ कान्या उर्फ कान्हा का पुत्र है। गोपाल उनके परिवार का एक मात्र वारिस था।

4. तहसीलदार अटरू से जरिऐ पटवारी कवाई व ढोटी से वारिसान की जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक/एल.आर./2022/530 दिनांक 31.01.2022 एवं पत्रांक /भू.अ./2022/1287 दिनांक 28.02.2022 पेश की। जांच रिपोर्ट से जाहिर है कि गोपाल पुत्र कान्या उर्फ काल्या जाति मीणा निवासी कवाई का विवाह छजावा निवासी नेनगा जाति मीणा की पुत्री जानकीबाई से हुआ था गोपाल जी छजावा में अपने ससुर के पास घर जवाईं के रूप में रहते थे। गोपाल पुत्र कान्या मीणा को छजावा के ग्रामवासी कवाई वाले फूफा के नाम से जानते है। गोपाल और जानकी बाई की मृत्यु हो चुकी है गोपाल की मृत्यु दिनांक 04.07.2006 को होना बताया गया है। गोपाल के 1 पुत्र मेघराज एवं 4 पुत्रियां होना बताया गया है। पटवारी कवाई की रिपोर्ट में खातेदार कान्या उर्फ कान्हा के वारीसान के कवाई छोडकर अन्यत्र जाना स्वीकार किया गया है।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराया और निवेदन किया कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि पर वादी को मेघराज पुत्र गोपाल मीणा को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार कृषक घोषित किया जावे जबकि वाद पत्र के मद क्रम 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 201 रकबा 0.54 है0 व ख0नं0 467 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 पर प्रतिवादी द्वारा खोले गये नामान्तरण संख्या 1662 व 1691 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित कर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। वादी द्वारा अपने पिता गोपाल मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श 11) पेश किया गया जो महत्वपूर्ण एवं गौर काबिल है।

वादी द्वारा पेश अटरू विधान सभा की निर्वाचक नामावली 1960 ग्राम छजावा की मतदाता सूची क्रमांक 454 पर गोपाल पुत्र कान्या उर्फ कान्हा का नाम दर्ज है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया कि वादी के पिता गोपाल का उक्त विवादित आराजी पर मृत्युपर्यन्त कब्जा काश्त रहा है। गोपाल की वर्ष 2006 में मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी द्वारा गोपाल के वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना दिये बिना एक पक्षीय कार्यवाही कर ख0नं0 201 व 467 को विधि विरूद्ध तरीके से वर्ष 2015 में सिवायचक दर्ज कर दिया था। वादी द्वारा ग्राम सोडलहेडी निवासी मीणा समाज के जागा अमृतलाल और उसके पूर्वजों के पास सुरक्षित भेरू मीणा की वंशावली पेश की गई जिसके अनुसार भैरू के दो पुत्र कान्या एवं धूल्या थे। जिसमें से धूल्या कंवारा फौत होना और कान्या के एक पुत्र गोपाल होना जाहिर है। उक्त वंशावली अनुसार गोपाल के 2 पत्नि– कमलाबाई पुत्री देवा गौत्र उसारा एवं जानकीबाई पुत्री नेनकराम गोत्र पाकड होना चाहिर होता है, जिसके एक पुत्र मेघराज व पुत्री गुड्डी के छजावा होना भी जाहिर होता है। अभिभाषक वादी द्वारा तर्क किया की उक्त विवादित संपत्ति पर जरिये अखबार दिनांक 13.02.2021 को आम आपत्ति आमंत्रित की गई लेकिन उक्त संपत्ति का वादी एकमात्र, अविवादित एवं सर्व स्वीकार्य वारिस होने के कारण किसी ने भी कोई आपत्ति पेश नहीं की । वादी द्वारा पेश ग्राम पंचायत कवाई की जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक खातेदार कान्या उर्फ कान्हा व धूल्या जाति मीणा कवाई के निवासी थे जिनकी मृत्यु करीब 40–50 वर्ष पूर्व होना बताया गया है। धूल्या का लाऔलाद फौत होना और कान्या के एक मात्र पुत्र गोपाल होना जाहिर है। गोपाल के पुत्र मेघराज एवं पुत्री गुड्डी बाई के विगत कई वर्षों से कवाई छोडकर ग्राम छजावा निवास करना पाया गया है। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान तर्क किया कि मृतक खातेदार अनुसूचित जनजाति मीणा समाज से है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति–मीणा समाज में पुत्रीयों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। शिड्यूल ट्राईब्स मीणा जाति में उत्तराधिकार संबंधि अपनी सामाजिक परम्पराऐं एवं रिती रिवाज प्रचलित है जिनके अनुसार पिता की संपत्ति में केवल पुत्रों को ही अधिकार दिया जाता है। अतः विवादित आराजी का वादी को एक मात्र खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

6. प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान अपने जवाब दावा दिनांक 01.10.2021 में वर्णित बिन्दुओं को दौहराया । प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में कहीं भी वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार नहीं किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। ग्राम कवाई के ख0नं0 201 व 467 की जमाबंदी संवत 2075–78 (प्रदर्श 1), ख0नं0 409 की जमाबन्दी संवत 2075–78, वाद पत्र के मद क्रम 1 में वर्णित आराजी की जमाबन्दी संवत 2051 से 54, 2055–58, 2059–62, 2063–66 एवं 2067–70 का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई के नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 1662 दिनांक 26.11.2016, नामान्तरण संख्या 1691 दिनांक 18.05.2017 का भी अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत कवाई की वारिसान रिपोर्ट, गोपाल पुत्र कान्या के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 11, अटरू विधान सभा के निर्वाचक नामावली 1960 ग्राम छजावा, तहसीलदार अटरू की वारीसान जांच रिपोर्ट 28.02.2022 व 31.01.2022, ग्राम सोडलहेडी निवासी मीणा समाज के जागा/वंशावली लेखक अमृतलाल की कान्या व धूल्या पुत्रान भैरू मीणा की वंशावली आदि का अवलोकन, अध्ययन व मनन किया गया।

8. उपरोक्त दस्तावेजों एवं रिपोर्टों के आधार पर स्पष्ट है कि मृतक खातेदार कान्या एवं धूल्या पुत्र भेरू मीणा का एक मात्र वारीस गोपाल पुत्र कान्या मीणा था जो कवाई छोडकर अपने ससुर के यहां ग्राम छजावा में रहने लग गये थे। गोपाल के वारीसान में एक पुत्र मेघराज एवं 4 पुत्रियां है। एक पुत्री गुड्डी बाई द्वारा दिनांक 24.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार अपना हक नहीं लेने पर सहमति दी। इसी प्रकार अन्य 3 पुत्रीयों को भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार –शिड्यूल ट्राईब्स मीणा जाति में– पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। ग्राम कवाई के नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 1662 दिनांक 26.11.2016 एवं नामान्तरण संख्या 1691 दिनांक 18.05.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0 एवं ख0नं0 467 रकबा 0.30 है0 भूमि को राजस्व न्यायालय डिक्री के आधार पर निर्णित कर सिवायचक घोषित किया गया है। अतः उक्त निर्णय डिक्री के विरूद्ध वादी को सक्षम राजस्व न्यायाल में अपील करनी चाहिए। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उक्त निर्णय डिक्री के विरूद्ध अपील को सुनने में सक्षम न्यायालय नहीं है। शेष आराजी ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 पर वादी को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल कवाई के विवादित आराजी ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि पर वादी मेघराज पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी छजावा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी मेघराज पुत्र गोपाल मीणा का नाम अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 138/2021

उनवान

1. मेघराज उम्र 40 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल कवाई के विवादित आराजी ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि पर वादी मेघराज पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी छजावा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी मेघराज पुत्र गोपाल मीणा का नाम अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)